

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 140/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/260

दायर दिनांक :- 20.09.2024

निर्णय दिनांक :- 26.08.2025

1. तुलछाराम पुत्र सुगनाराम जाति नाई निवासी तांतवास तहसील व जिला नागौर
2. सरूपाराम पुत्र शेराराम जाति नाई निवासी बूंगड़ी तहसील घंटियाली जिला फलोदी

-वादी

बनाम

1. अणचकंवर पत्नी साजनसिंह जाति राजपूत निवासी बूंगड़ी तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. सांगसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी बूंगड़ी तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. प्रेमसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी बूंगड़ी तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. किरणकंवर पुत्री देवीसिंह जाति राजपूत निवासी बूंगड़ी तहसील घंटियाली जिला फलोदी
5. छेलूकंवर पुत्री देवीसिंह जाति राजपूत निवासी बूंगड़ी तहसील घंटियाली जिला फलोदी
6. झमूकंवर पत्नी देवीसिंह जाति राजपूत निवासी बूंगड़ी तहसील घंटियाली जिला फलोदी
7. धापूकंवर पुत्री साजनसिंह जाति राजपूत निवासी बूंगड़ी तहसील घंटियाली जिला फलोदी
8. नीतुकंवर पुत्री देवीसिंह जाति राजपूत निवासी बूंगड़ी तहसील घंटियाली जिला फलोदी
9. मर्गीकंवर पुत्री साजनसिंह जाति राजपूत निवासी बूंगड़ी तहसील घंटियाली जिला फलोदी
10. सायरकंवर पुत्री साजनसिंह जाति राजपूत निवासी बूंगड़ी तहसील घंटियाली जिला फलोदी
11. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

-प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :-1. श्री विजय तंवर अधिवक्ता वादीगण

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली

--: निर्णय ::-

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम बूंगड़ी पटवार क्षेत्र बूंगड़ी तहसील घंटियाली में खसरा नम्बर 372 रकबा 18.5831 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 ने उक्त वादग्रस्त भूमि का मौका पर आपसी सहमति से हिस्से माफिक बंटवाड़ा कर लिया था।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण सं. 1 ता 10 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली में अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनकर ग्राम बूंगड़ी पटवार क्षेत्र बूंगड़ी तहसील घंटियाली में खसरा नम्बर 372 रकबा 18.5831 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार घंटियाली द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

A 26/8/25

तहसीलदार घंटियाली द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं भाषिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार घंटियाली द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव भाषिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तैयार कर तहसीलदार, घंटियाली द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता वादीगण द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार घंटियाली द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व ग्राम बूंगड़ी पटवार क्षेत्र बूंगड़ी तहसील घंटियाली में खसरा नम्बर 372 रकबा 18.5831 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 10 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. सं.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टेयर	किस्म
1	तुलछाराम पुत्र सुगनाराम 1/2 सा. तांतवास जिला नागौर, सरूपाराम पुत्र शेराराम 1/2 जाति नाई सा. देह खातेदार	बूंगड़ी	372	3.0971 हैक्टेयर	बी-4
2	अणकंवर पत्नी साजनसिंह 1/5, धापूकंवर 1/5, मगीकंवर 1/5, सायरकंवर 1/5 पुत्रियां साजनसिंह, प्रेमसिंह 1/30, सांगसिंह 1/30 पि. देवीसिंह, किरणकंवर 1/30, छेलुकंवर 1/30, नीतूकंवर 1/30 पुत्रियां देवीसिंह, झमुकंवर पत्नी देवीसिंह 1/30 जाति राजपूत सा. देह खातेदार	बूंगड़ी	372	15.4860 हैक्टेयर	बी-4

तहसीलदार घंटियाली को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 10 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

A — 26/8/25
(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

अंतिम डिगरी बमुकदमें इबादाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाबा दीवाली)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी
पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. तुलछाराम पुत्र सुगनाराम जाति नाई निवासी तांतवास तहसील व जिला नागौर
2. सरूपाराम पुत्र शेराराम जाति नाई निवासी बूंगड़ी तहसील घंटियाली जिला फलोदी

बनाम

01. अणचकंवर पत्नी साजनसिंह जाति राजपूत निवासी बूंगड़ी तहसील घंटियाली जिला फलोदी
02. सांगसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी बूंगड़ी तहसील घंटियाली जिला फलोदी
03. प्रेमसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी बूंगड़ी तहसील घंटियाली जिला फलोदी
04. किरणकंवर पुत्री देवीसिंह जाति राजपूत निवासी बूंगड़ी तहसील घंटियाली जिला फलोदी
05. छेलूकंवर पुत्री देवीसिंह जाति राजपूत निवासी बूंगड़ी तहसील घंटियाली जिला फलोदी
06. झमूकंवर पत्नी देवीसिंह जाति राजपूत निवासी बूंगड़ी तहसील घंटियाली जिला फलोदी
07. धापूकंवर पुत्री साजनसिंह जाति राजपूत निवासी बूंगड़ी तहसील घंटियाली जिला फलोदी
08. नीतूकंवर पुत्री देवीसिंह जाति राजपूत निवासी बूंगड़ी तहसील घंटियाली जिला फलोदी
09. मगीकंवर पुत्री साजनसिंह जाति राजपूत निवासी बूंगड़ी तहसील घंटियाली जिला फलोदी
10. सायरकंवर पुत्री साजनसिंह जाति राजपूत निवासी बूंगड़ी तहसील घंटियाली जिला फलोदी
11. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

—प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या 140/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर विजय तंवर मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि राजस्व ग्राम बूंगड़ी पटवार क्षेत्र बूंगड़ी तहसील घंटियाली में खसरा नम्बर 372 रकबा 18.5831 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 10 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. सं.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टेयर	किस्म
1	तुलछाराम पुत्र सुगनाराम 1/2 सा. तांतवास जिला नागौर, सरूपाराम पुत्र शेराराम 1/2 जाति नाई सा. देह खातेदार	बूंगड़ी	372	3.0971 हैक्टेयर	बी-4
2	अणचकंवर पत्नी साजनसिंह 1/5, धापूकंवर 1/5, मगीकंवर 1/5, सायरकंवर 1/5 पुत्रियां साजनसिंह, प्रेमसिंह 1/30, सांगसिंह 1/30 पि. देवीसिंह, किरणकंवर 1/30, छेलूकंवर 1/30, नीतूकंवर 1/30 पुत्रियां देवीसिंह, झमूकंवर पत्नी देवीसिंह 1/30 जाति राजपूत सा. देह खातेदार	बूंगड़ी	372	15.4860 हैक्टेयर	बी-4

तहसीलदार घंटियाली को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 10 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लट्टा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। नीचे

मुतालिक बाबत् खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.08.2025 को जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुत्फरिक मिजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।